भारतीय मानक ब्यूरो

खिलौनों के लिए बीआईएस लाइसेंस हेतु 10 कदम

खिलौनों के लिए बीआईएस लाइसेंस लेने हेतु निम्नलिखित 10 कदमों का अनुसरण करें (**कृपया अनुग्नक-1 में परामर्श/सूचना नोट भी देखें**) :

कदम 1 : मानक ऑनलाइन पर लॉगइन बनाएं
www.manakonline.inपर जाएं और, बीआईएस के आवेदन पोर्टल मानकऑनलाइन पर अकांउट बनाएं। अकांउट द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
कदम 2 : भारतीय मानक का चयन करें
आवदेन करते समय खिलौनों के लिए निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय मानक का चयन करें : I आईएस 9873 (भाग 1) : 2019 बिना बिजली वालें खिलौनों (विद्‌युत कार्यप्रणाली के बिना) के लिए **अथवा** Ii आईएस 15644 : 2006 बिजली के खिलौनों के लिए (कम से कम बिजली की एक कार्य्रप्रणाली वाले) नोट : आवेदन के प्रकार के अनुसार विकल्प 1 या विकल्प 2 चुनें।
कदम 3 : निम्नलिखित जानकारी दें :
मानकआनलाइन आवेदन प्रपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार कच्ची सामग्री, फैक्टरी का स्थान, निर्माण प्रक्रिया और मशीनरी, संयंत्र का लेआउट इत्यादि की जानकारी अपलोड/प्रदान करें। **विकल्प 2 चुने जाने पर बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा अनुरूपता परीक्षण रिपोर्ट (रिपोर्टे) भी अपलोड करें।**
कदम 4 : उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विवरण दें
आपकी फैक्टरी में परीक्षण सुविधाओं को दर्शाते हुए लागू भारतीय मानकों के अनुसार परीक्षण उपस्करों की सूची अपलोड करें।
नोट1: बीआईएस ने इस शर्त के तहत इनहाउस परीक्षण सुविधाओं- के बिना माइक्रो स्केल निर्माण इकाइयों को लाइसेंस देने की अनुमति दी है कि वे लाइसेंस देने के एक वर्ष के भीतर आवश्यक इनहाउस -परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेंगे। इस प्रकार, इस प्रावधान का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले माइक्रो स्केल इकाइयां, परीक्षण सुविधाओं की सूची के बजाय निम्नलिखित घोषणा करते हुए अपलोड कर सकती हैं ***मैं अपनी विनिर्माण इकाई में खिलौने की सुरक्षा के लिए बीआईएस योजना के निरीक्षण और परीक्षण के अनुसार आवश्यक सभी परीक्षण सुविधाएं बीआईएस लाइसेंस देने की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्थापित करूंगा, विफल मुझे दिया गया लाइसेंस BIS द्वारा रद्द करने या निलंबन के लिए उत्तरदायी होगा*** **नोट** 2: आपकी फैक्टरी में उपलब्ध परीक्षण् उपस्करों में कम से कम सभी लागू परीक्षणों के लिए वे आवश्यक उपस्कर अवश्य शामिल करें जिसके लिए उत्पाद मैन्युअल में दी गई निरीक्षण और परीक्षण योजना (एसआईटी) में उप-संविदा की अनुमति नहीं है अर्थात : iसभी बिजली के खिलौने और बिजली रहित खिलौने : **सभी लागू परीक्षण** आईएस 9873 (भाग 1) : 2019 के अनुसार और, ii.बिजली के खिलौनों के लिए : आईएस 15644 : 2006 – पावर एवं द्विआपूर्ति (खंड 8), ताप एवं असामान्य

प्रचालन (खंड 9) और प्रचालन तापमान पर विद्युत शक्ति (खंड 10) की **तीन अपेक्षाओं का अनुपालन।**
कदम 5 : उत्पाद का विवरण दें
'अंडरटेकिंग/घोषणा' के अंतर्गत खिलौनों के लिए उत्पाद मैन्युअल के परिशिष्ट-II के अनुसार अपने उत्पाद का विवरण अपलोड करें। खिलौनों की फोटो अपलोड करें और खिलौनों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की सूची घोषणा के साथ अपलोड करें।
कदम 6 : बीआईएस द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान
I एक बार आवेदन पंजीकृत हो जाने पर आपको आवेदन संख्या दी जाएगी। Ii मानकऑनलाइन पोर्टल में कृपया अपनी कम्युनिकेशन विंडो की जांच करें। Iii यदि बीआईएस द्वारा कोई पूछताछ की जाती है तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और सभी प्रश्नों का समाधान करें।
कदम 7 : फैक्टरी निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित सुनिश्चित करें
बीआईएस द्वारा फैक्टरी निरीक्षण प्रस्तावित कर दिए जाने पर यथाशीघ्र निरीक्षण की तिथि सुनिश्चित करें (आवेदन जमा किए जाने के 10 दिनों के भीतर) अन्यथा आपका आवेदन निरस्त/समाप्ति की प्रक्रिया में जा सकता है, ऐसे मामले में निरीक्षण के लिए तैयार होने पर केवलआवेदन शुल्क जमा करने के बाद आप नया आवेदन कर सकते हैं।
कदम 8 : फैक्टरी निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित सुनिश्चित करें
फैक्टरी निरीक्षण के दिन सुनिश्चित करें : iसमूहबद्ध दिशा-निर्देशों के आधार पर बीआईएस द्वारा निरीक्षण और नमूने लेने के लिए आवश्यक खिलौनों की सभी किस्में उपलब्ध हो। iiसंबद्ध उत्पादन प्रक्रिया प्रदर्शित हो तथा उत्पादन/गुणता नियंत्रण कार्मिक उपलब्ध हों । iii गुणता नियंत्रण कार्मिक द्वारा बीआईएस के अधिकारी की उपस्थिति में नमूनों का फैक्टरी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए और परीक्षण जनरेट की जाए।
कदम 9 : फैक्टरी निरीक्षण से सामने आने वाली अनुवर्ती कार्यवाही, यदि कोई हो, पूरी की जाए।
निरीक्षण के दौरान : I यदि बीआईएस के अधिकारी को निरीक्षण के दौरान कोई विसंगति मिलती है तो वह विसंगति एवं परामर्श रिपोर्ट के माध्यम से उसकी जानकारी देंगे। अधिकारी द्वारा दी गई दी गई समय-सीमा के भीतर कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर दें। Ii यदि बीआईएस का अधिकारी फैक्टरी निरीक्षण से संतुष्ट है और फैक्टरी में निरीक्षित नमूना अनुरूप है तो वह उत्पाद मैनयुअल में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्पाद के नमूने और काउंटर नमूने सील करेगा। Iii यदि बीआईएस का अधिकारी अभिनामित प्रयोगशाला को परीक्षण निवदेन के साथ आपको नमूने भेजने के लिए निर्देश जारी करता है तो ऐसा तत्काल करें (24 घंटों के भीतर) और बीआईएस को प्रमाण जमा करें।
कदम 10 : भुगतान और बीआईएस लाइसेंस लेना
iजब और जैसे अनुरूपता/पासिंग परीक्षण रिपोर्टेंप्राप्त होने और निरीक्षण दौरे से कोई कार्यवाही लंबित न होने पर लाइसेंस प्रदत्त करने के लिए आवेदन पर बीआईएस कार्यवाही करेगा। **ii**एक बारलाइसेंस प्रदान करने का निर्णय हो जाने पर आपको बीआईएस द्वारा आवश्यक भुगतान करने का अनुरोध किया जाएगा। एक बार भुगतान प्राप्त हो जाने पर (शुल्क अनुसूची के लिए अनुलग्नक—1 देखें) आपका लाइसेंस जनरेट किय जाएगा और उसकी सूचना आपको दी जाएगी।

अनुलग्नक 1

परामर्श/सूचना नोट

1) खिलौनो की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक अर्थात

क्रम सं.	आईएस सं.	मानक शीर्षक
1	आईएस 9873 (भाग 1) : 2019	खिलौनों की सुरक्षा भाग 1 यांत्रिक एवं भौतिक गुणधर्म से संबंधित सुरक्षा पक्ष
2	आईएस 9873 (भाग 2) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 2 ज्वलनशीलता
3	आईएस 9873 (भाग 3) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 3 निश्चित घटकों की माइग्रेशन
4	आईएस 9873 (भाग 4) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 4 आंतरिक और बाहरी पारिवारिक घरेलू उपयोग के स्विंग, स्लाइड और समान क्रियाकलाप वाले खिलौने
5	आईएस 9873 (भाग 7) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 7 फिंगर पेंट की अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां
6	आईएस 9873 (भाग 9) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 9 खिलौनों और बच्चों के उत्पादों में निश्चितथैलेट इस्टर
7	आईएस 15644 : 2006	खिलौनों की सुरक्षा

i. भारतीय मानक को बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है, सिवाय भारतीय मानकों के जिन्हें आईएसओ मानक से अपनाया जाता है। इन्हें https://www.standardsbis.in/ से खरीदा जा सकता है

ii. बीआईएस उत्पाद प्रमाणनप्रक्रिया (https://bis.gov.in/index.php/product-certification/product-certification-process/)

iii. खिलौनों के लिए उत्पाद मैन्युअल (Https://bis.gov.in/index.php/product-certification/product-specific-guideline/product-manuals/ पर जाएं और खोज क्वेरी बॉक्स में "9873" या "15644" दर्ज करें)

2) परीक्षण सुविधाएं : आईएस 9873 (भाग 1) : 2019 अर्थात परीक्षण/अपेक्षाओं की सभी **लागू अपेक्षाओं** के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करनी होगी। बीआईएस लैब्स / बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के विवरण और खिलौनों के परीक्षण के लिए उनके परीक्षण शुल्क के विवरण देखने के लिए http://164.100.105.198:8096/bis_access/iswise_v2.html पर जाएं और खोज बॉक्स में "9873" और "15644" दर्ज करें।

3) **खिलौनों के बीआईएस प्रमाणन के लिए शुल्क अनुसूची**

क) आवेदन शुल्क : रू.1000/-

ख) आवेदन लाइसेंस शुल्क : रू.1000/-

ग) नवीकरण आवेदन शुल्क : रू.1000/-

घ) प्रत्येक वर्ष देय मुहरांकन शुल्क : नीचे दिए गए अनुसार रूपए में

	बिना बिजली वाले खिलौने	बिजली के खिलौने
न्यूनतम मुहरांकन शुल्क एलएस	98,000/-	1,46,000/-
न्यूनतम मुहरांकन शुल्क एसएमई	79,000/-	1,17,000/-
न्यूनतम मुहरांकन शुल्क माइक्रो	59,000/-	88,000/-
इकाई दर एलएस	4.50/-प्रति इकाई	80/- प्रति इकाई
इकाई दर एसमएमई	2.25/-प्रति इकाई	40/-प्रति इकाई
इकाई दर माइक्रो	1.00/-प्रति इकाई	20/- प्रति इकाई
इकाई	1000 पीस	1000 पीस

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

10 steps to BIS Licence for Toys

The following 10 steps may be followed for obtaining BIS licence for toys (Please also see the Advisory/Information Note at **Annex-1**):

Step 1: Create Login On Manakonline

Go to www.manakonline.in and create an account on Manakonline, the BIS application portal. Apply for a licence through this account.

Step 2: Choose Indian Standard

While submitting application, select one of the following Indian Standards for toys:

i. IS 9873 (Part 1):2019 for non-electric toys (with no electric function), **OR**

ii. IS 15644:2006 for electric toys (with at least one electric function)

Note: choose option 1 or option 2 as the type of application.

Step 3: Provide following information

Upload/provide detail of raw materials, factory location, manufacturing process and machinery, plant layout, testing personnel etc. as per the details given in the manakonline application form. **In case option 2 has been selected, also upload conforming test report(s) issued by a BIS Recognized Laboratory.**

Step 4: Provide details of test facilities available

Upload list of test equipments indicating testing facilities available in your factory as per the applicable Indian Standards.

Note 1: BIS has permitted grant of licence to micro scale manufacturing units without establishing in-house testing facilities under the condition that they shall establish the required in-house testing facilities within one year of grant of licence. Thus, micro scale units who wish to avail this provision may upload a declaration stating the following, instead of the list of test facilities:

I undertake to establish all test facilities required as per the BIS Scheme of Inspection and Testing for Safety of Toys in my manufacturing unit, within one

year from date of grant of BIS licence i.e. within DD/MM/YYYY [Date to be mentioned] failing which the licence granted to me will be liable for cancellation and/or suspension by BIS.

<u>Note 2:</u> The test equipments available in your factory must include at least the equipments required for all **applicable tests** for which subcontracting is not permitted in the Scheme of Inspection and Testing (SIT) given in product manual i.e.

i. For both electric and non electric toys: **all <u>applicable</u> tests** as per IS 9873 (Part 1):2019, and

ii. For electric toys: **following 3 requirements** of IS 15644:2006 - Power Input of transformer & dual-supply toys (Clause 8), Heating and abnormal operation (Clause 9), and Electric Strength at operating temperature (Clause 10).

Step 5: Provide product details and submit 50% of minimum marking fees

i. Upload details of your product under 'undertaking/declaration' as per Appendix-II of the product manual for toys. Upload photographs of the toys and upload list of materials used to manufacture the toys, along with the declaration.

ii. **Pay 50% of the Minimum Marking Fee with the application (See Annex 1 for Minimum Marking Fee rates)**

Step 6: Address any queries raised by BIS

i. Once application is registered you will be given an application number.

ii. Please check your communication window in the Manakonline Portal.

iii. If BIS has raised any queries, respond to the same immediately and address all queries.

Step 7: Confirm date for factory inspection

Once BIS has proposed date for factory inspection, confirm the date of inspection at the earliest (within 10 days of submission of application) failing which your application may be processed for rejection/closure. However, in such case, you may apply afresh when you are ready for inspection, after paying only the application fee.

Step 8: Ensure the following during Factory Inspection

On the day of factory inspection, ensure that:

i. All varieties of toys which are required for inspection and sampling by BIS based on the grouping guidelines are available.

ii. Relevant production process is demonstrated and production/quality control personnel are available.

iv. Ensure Factory Testing of samples by QC personnel in the presence of the BIS officer and test report generated.

Step 9: Complete follow up actions, if any, arising out of Factory Inspection

During the inspection:

i. If BIS officer finds any discrepancy during the inspection, he/she shall communicate it through a Discrepancy cum Advisory report. Please reply to all queries within the deadline given by the officer.

ii. If the BIS officer is satisfied with factory inspection and sample tested in factory conforms, he /she shall seal samples and counter-samples of the product in accordance with the sampling/grouping guidelines in the product manual

iii. If the BIS officer issues instructions to you to dispatch the samples along with a test request to the designated lab, do so immediately (in 24 hours) and submit proof of delivery to BIS.

Step 10: Make Payment and Obtain BIS licence

i. If and when conforming/passing test reports are received, and there is no action pending from the inspection visit, BIS will process the application for grant of licence.

ii. Once it is decided to grant the licence, you will be requested by BIS to submit the requisite payment. Once payment is received (see Annex-1 for the fee schedule), your licence number will be generated and communicated to you.

Annex 1

Advisory/Information Note

1) Before applying for a BIS licence, please read the following:

i. Indian Standards for Safety of Toys i.e.

S. No.	IS No.	Standard Title
1	IS 9873 (Part 1):2019	Safety of Toys Part 1 Safety Aspects Related to Mechanical and Physical Properties
2	IS 9873 (Part 2) : 2017	Safety of Toys Part 2 Flammability
3	IS 9873 (Part 3) : 2017	Safety of Toys Part 3 Migration of Certain Elements
4	IS 9873 (Part 4) : 2017	Safety of Toys Part 4 Swings, Slides and Similar Activity Toys for Indoor and Outdoor Family Domestic Use
5	IS 9873 (Part 7) : 2017	Safety of Toys Part 7 Requirements and Test Methods for Finger Paints
6	IS 9873 (Part 9) :2017	Safety of Toys Part 9 Certain Phthalates Esters in Toys and Children's Products
7	IS 15644:2006	Safety of Electric Toys

Indian Standards can be can be downloaded for free from BIS website www.bis.gov.in except the Indian Standards which are adopted from ISO Standards. These can be purchased from https://www.standardsbis.in/

ii. BIS product certification process
(https://bis.gov.in/index.php/product- certification/product-certification-process/)

iii. **Product manual for toys** (Go to https://bis.gov.in/index.php/product-certification/product-specific-guideline/product-manuals/ and enter "9873" or "15644" in the search query box).

2) **Testing facilities:** Test facilities need to be established only for all **applicable** requirements of IS 9873 (Part 1):2019 i.e. for the tests/requirements which are applicable to the toys for which licence has been applied for. Go to http://164.100.105.198:8096/bis_access/iswise_v2.html and enter "9873" and "15644" in the search box to see details of BIS Labs/BIS Recognized labs and their testing charges for testing of toys as per various parts of IS 9873 and IS 15644, respectively.

3) **Fee Schedule for BIS Certification of Toys**

a) Application Fee: Rs 1000/-
b) Annual Licence Fee: Rs 1000/-
c) Renewal Application Fee: Rs 1000/-
d) Marking Fee payable every year: in Rs. as below

	Non Electric Toy	Electric Toy
Minimum Marking Fee LS	98,000/-	1,46,000/-
Minimum Marking Fee SME	79,000/-	1,17,000-
Minimum Marking Fee Micro	59,000/-	88,000/-
Unit Rate LS	4.50/- per unit	80/- per unit
Unit Rate SME	2.25/- per unit	40/- per unit
Unit Rate Micro	1.00/- per unit	20/- per unit
Unit	1000 pcs	1000 pcs

Note: 50% of the Minimum Marking Fee is payable in advance.